भारत सरकार **लोकसभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2540**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

मुक्त व्यापार समझौता

2540. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान भारत द्वारा हस्ताक्षरित कार्यान्वित या वार्ता के अधीन मुक्त व्यापार समझौतों (एफ़टीए) का ब्यौरा क्या है और उक्त समझौतों के अंतर्गत किन प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने निर्यात में वृद्धि, बाजार तक पहुंच, टैरिफ लाभ और निवेश के अवसर सहित भारतीय निर्यातकों पर उक्त मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु के निर्यातक सहित मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित अवसरों से लाभान्वित होने वाले निर्यातकों का क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने गैर-शुल्क बाधाएं, प्रमाणन आवश्यकताएं और अनुपालन मुद्दे सहित मुक्त व्यापार समझौते के लाभों का उपयोग करने में भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, छोटे निर्यातकों और क्षेत्रीय उद्योगों को मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से खुले बाजारों तक प्रभावी ढंग से पहुँच बनाने और भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत द्वारा हस्ताक्षरित, कार्यान्वित या वार्ता के अधीन मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। एफटीए आर्थिक साधन हैं जिनका उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना है। एफटीए लागू होने (ईआईएफ) टैरिफ उन्मूलन, चरणबद्ध टैरिफ

कटौती/उन्मूलन और विभिन्न क्षेत्रों में संवेदनशील/अपवर्जन सूचियों के माध्यम से संतुलित बाजार पहुंच प्रदान करते हैं। कार्यान्वित एफटीए में शामिल क्षेत्रों, टैरिफ संरचना और प्रमुख विशेषताओं का विवरण **https://www.commerce.gov.in/#/international-trade/trade-agreements** पर उपलब्ध है।

(ख) मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के प्रभाव का आकलन एक निरतंर चलने वाली प्रक्रिया है। नई एफटीए वार्ताएं शुरु करने से पहले, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वार्ताओं के सभी चरणों में क्षेत्र-विशिष्ट हितधारकों के साथ परामर्श किया जाए। व्यापक, संतुलित, निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के प्रयास से एफटीए पर वार्ता की जाती है। यह व्यापारिक साझेदार देशों में भारतीय निर्यातकों के लिए एक अधिमान्य, स्थिर और पूर्वानुमानित व्यापार इकोसिस्टम को भी सक्षम बनाता है। इस संरचित दृष्टिकोण के अतिरिक्त, कार्यान्वयन के बाद, सरकार व्यापार संवर्धन, व्यापार सुविधा और यदि कोई चुनौतियां हों तो उनके समाधान के माध्यम से प्रभावी एफटीए उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क में रहती है। घरेलू प्राथमिकताओं की रक्षा करते हुए निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कार्यनीतिक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

(ग) मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के संचालन ने बाजार पहुंच प्रदान करके, व्यापार बाधाओं को कम करके, आपूर्ति श्रृंखला संबंधों को बेहतर बनाकर और सभी क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर सृजित करके प्रमुख साझेदार देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध को मजबूत किया है। भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान सहित निरंतर वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 776.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के प्रमुख भागीदार देशों और व्यापार समूहों को पण्यवस्तु निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 179.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो भारत के कुल पण्यवस्तु निर्यात का 40.5% है। हालिया एफटीए भागीदारों को पण्यवस्तु निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए, यूएई को निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 (सीईपीए कार्यान्वित होने से पहले) में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 37.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि ईसीटीए कार्यान्वित होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी तरह, ईएफटीए देशों को निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 1.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

समय-समय पर निर्यात किए गए उत्पादों, मात्राओं और मूल्यों का राज्य-वार विवरण **https://ftddp.dgciskol.gov.in/dgcis/** पर उपलब्ध है।

(घ) सरकार विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए उद्योग निकायों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करती है। हितधारकों के साथ बातचीत एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह व्यापार से जुड़ी बातचीत से पहले, उसके दौरान और उसके

बाद मुक्त व्यापार समझौता लागू करने के चरण सहित की जाती है। ऐसे मामलों की संबंधित मंत्रालयों/विभागों और हितधारकों के साथ बातचीत करके विधिवत जॉच की जाती है। एफटीए के तहत गठित संयुक्त समितियों और उप-समितियों जैसे संस्थागत तरीकों का उपयोग भी कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने और घरेलू उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आयात के घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए एफटीए के तहत उपयुक्त मूल नियम, व्यापार उपचार उपाय, जिनमें सुरक्षा तंत्र भी शामिल हैं, उपलब्ध हैं। एफटीए की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है ताकि भारत के व्यापार और आर्थिक हितों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा उन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाए रखा जा सके।

(ड.) सरकार ने समय-समय पर घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने और एमएसएमई, छोटे निर्यातकों तथा क्षेत्रीय उद्योगों सहित देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल और उपाय किए हैं, जो कि निम्नवत हैं:

(i) दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी विदेश व्यापार नीति, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बाजार में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करना, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और देश को एक विश्वसनीय एवं भरोसेमंद व्यापार साझेदार के रूप में स्थापित करना है;

(ii) निर्यात संवर्धन मिशन: सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से एमएसएमई के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। ईपीएम दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा:

- निर्यात प्रोत्साहन, जिसका उद्देश्य ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी और ऋण वृद्धि सहायता जैसे साधनों के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार करना है; और
- निर्यात दिशा, जो कि निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और पैकेजिंग, बाजार पहुंच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, और व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार सहायकों पर केंद्रित है।

(iii) भारत ट्रेड नेट (बीटीएन): केंद्रीय बजट 2025 में घोषित भारत ट्रेड नेट (बीटीएन) एक प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहल है जो सरल, कागज रहित दस्तावेज़ीकरण को सक्षम करके, अनुपालन बोझ को कम करके और वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त त्वरित, सुरक्षित व्यापार लेनदेन को सुविधाजनक बनाकर एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है।
(iv) जिला निर्यात केंद्र (डीईएच) और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र जैसे जमीनी स्तर के कार्यक्रमों की शुरुआत से एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स और कारीगरों को कम लागत और सरलीकृत निर्यात प्रक्रियाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है।

(v) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और पीएम गति शक्ति के माध्यम से अवसंरचना को मजबूत करने से बहुआयामी कनेक्टिविटी बढ़ती है और लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को कम करके एमएसएमई निर्यातकों को सीधे लाभ होता है।

(vi) व्यापार को सुगम बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए के उपयोग को बढ़ाने के लिए मूल प्रमाण पत्र हेतु एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

(vii) सरकार व्यापार संवर्धन, व्यापार सुविधा और आयात एवं निर्यात से संबंधित उपचारात्मक उपायों के माध्यम से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में भारतीय मिशन, निर्यात संवर्धन परिषदें उद्योग संघों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों सहित व्यापार संघों और संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क में रहती है।

(viii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश भर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं ताकि एमएसएमई को उनके उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना एमएसएमई को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने में सुविधा प्रदान करती है।

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2540 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

विगत पांच वर्षों के दौरान भारत द्वारा हस्ताक्षरित, कार्यान्वित या वार्ता के अधीन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

क्रम सं.	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि	समझौता कार्यान्वित होने की तिथि
1	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए)	22 फरवरी, 2021	1 अप्रैल, 2021
2	भारत-यूएई सीईपीए	18 फरवरी, 2022	1 मई, 2022
3	भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए)	2 अप्रैल, 2022	29 दिसंबर, 2022
4	भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड)	10 मार्च, 2024	01 अक्टूबर, 2025
5	भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए)	24 जुलाई, 2025	15 जुलाई, 2026
6	भारत - ओमान सीईपीए	18 दिसंबर, 2025	01 जून, 2026
7	भारत-न्यूजीलैंड एफटीए	27 अप्रैल, 2026	अनुसमर्थन प्रक्रिया के अधीन

नोट: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ता दिनांक 27 जनवरी, 2026 को संपन्न हुई। साथ ही, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिनांक 7 फरवरी, 2026 को घोषित किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत पारस्परिक और आपसी रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं। वार्ता जारी है।

चल रही एफटीए वार्ताएं

चल रही एफटीए वार्ताएं

1. भारत-चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)
2. भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)
3. भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (भारत-ईएईयू) एफटीए
4. भारत-इजराइल एफटीए

5. भारत-पेरू एफटीए
6. भारत-यूएसए द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए)
7. भारत-मालदीव एफटीए

समीक्षा/उन्नयन वार्ता के अधीन एफटीए

1. भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की समीक्षा
2. आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा
3. भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)
4. भारत-श्रीलंका आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (ईटीसीए)
